



छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002

(विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.12.2025 पर्यन्त अद्यतन)

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुक्रमणिका

नियम क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य	3
1	नाम, विस्तार एवं प्रारंभ	3
2	शासकीय क्रय का आशय	3
3	भारत सरकार के जेम (GeM-Government e-Marketplace) पोर्टल से शासकीय खरीदी।	3
4	निविदा के संबंध में प्रक्रिया	4
5	विलोपित	12
6	विदेशों से क्रय	13
7	विलोपित	13
8	अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से क्रय	13
9	एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना	14
10	प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में क्रय	14
11	निरीक्षण, गुणवत्ता व भुगतान का दायित्व	14
12	निविदा एवं अनुबंधों की सूची	15
13	विशेष वर्गों से क्रय का प्रावधान	15
14	विलोपित	15
15	निविदा की ऑनलाइन प्रक्रिया	15
16	राज्य शासन द्वारा किसी नियम को शिथिल करने की शक्ति	16
परिशिष्ट-1	संस्थाएँ	16
परिशिष्ट-2	विलोपित	16
परिशिष्ट-3	निविदा सूचना का प्रारूप	16
परिशिष्ट-4	प्रोपराईटरी आर्टिकल प्रमाण पत्र	17

भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य

- (अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।
- (ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- (स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।
- (द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले।

भण्डार क्रय नियम

नियम-1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 कहलाएंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।

"नियम-2 (1) ये नियम समस्त विभाग तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एवं/या उनसे बजट प्राप्त करने वाले कार्यालयों पर लागू होंगे।

(2) उपरोक्त उपनियम के होते हुए भी, **परिशिष्ट-1** में वर्णित संस्थाओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

(3) इन नियमों में "स्टार्ट-अप" से आशय ऐसे स्टार्ट-अप से है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है एवं जो निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है।

(4) इन नियमों में "सूक्ष्म एवं लघु उद्योग" से छत्तीसगढ़ में स्थापित एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की परिभाषा अनुसार मान्य, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं उत्पादन प्रमाण-पत्र/ संचालन प्रमाण-पत्र रखते हैं। **10.12.2025**

नियम-3

"उपनियम-3.1

उपनियम-3.1.1 राज्य शासन के समस्त विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुएँ एवं सेवाएँ जिनकी दरें एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट (GeM – Government e-Marketplace) में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से **10.12.2025** करेंगे, किन्तु

ऐसे क्रय के लिये विभाग/ क्रेता कार्यालय/ अधीनस्थ संस्थाएँ जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य, आदि का निर्धारण स्वयं करेगा। विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएँ की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह शासकीय कोष की मितव्ययता एवं क्रय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। यदि राज्य शासन का कोई विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएँ इस प्रावधान से परे, इस नियमावली के नियम-4 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप निविदा प्रणाली के माध्यम से सामग्री, वस्तुएँ एवं सेवाएँ का क्रय करना चाहे तो वे निविदा के माध्यम से सामग्री, वस्तुएँ एवं सेवाएँ क्रय कर सकेंगे, किंतु ऐसा करने के पूर्व उन्हें संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। "11.07.2024

उपनियम-3.1.2 विलोपित 05.03.2025

उपनियम-3.1.3 विलोपित 05.03.2025

उपनियम-3.2 विलोपित 05.03.2025

उपनियम-3.3 विलोपित 05.03.2025

उपनियम-3.4 ऐसी सामग्री वस्तुएँ एवं सेवाएँ जो उपनियम-3.1 ****05.03.2025 में वर्णित नहीं है, उनका क्रय राज्य शासन के सभी विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएँ नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में क्रय कर सकेंगे।

नियम-4 शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

उपनियम-4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदण्ड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

उपनियम-4.2 (1) निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा। कोई अतिरिक्त शर्त ऐसी नहीं जोड़ी जा सकेगी, जो इन नियमों के प्रावधानों के परे, प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है। अतिरिक्त शर्तों का अनुमोदन, विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा विभागाध्यक्ष के क्रेता होने की स्थिति में, शासन द्वारा किया जाएगा।

(2) स्टार्ट-अप को और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को पूर्व अनुभव और टर्न-ओवर से छूट की शर्त जोड़ी जा सकेगी। इस छूट को, क्रेता कार्यालय लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य, गंभीर सुरक्षा संचालन व उपकरण सम्बन्धी एवं अन्य कोई समुचित कारण दर्शाते हुए समाप्त कर सकेगा।

(3) नियम 13 के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा एल-1 पर सहमति देने पर, उन्हें प्राप्त होने वाले क्रय-आदेश के प्रतिशत का निर्धारण शर्तों में किया जाएगा।

(4) वस्तुओं के क्रय में, क्रेता विभाग मरम्मत/ प्रतिस्थापन की शर्त जोड़ सकेगा। ^{10.12.2025}

उपनियम-4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएँ:-

उपनियम 4.3.1 **एकल निविदा पद्धति:-**

(अ) ऐसी एकल वस्तुएँ जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो “अथवा”^{10.12.2025} प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाए, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जाएगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता ”एक लाख रुपये”^{10.12.2025} से अधिक की न हो।

(ब) परन्तु, एकल वस्तु की कीमत ”एक लाख रुपये”^{10.12.2025} से अधिक होने पर निम्नलिखित अनुसार शर्तों/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की जाएगी:-

(1) सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) के रूप में क्रय की जाने वाली वस्तु के विषय में क्रेता विभाग के संज्ञान में यह होने अपेक्षित होगा कि उक्त आवश्यक वस्तु का निर्माण केवल एक ही उत्पादनकर्ता द्वारा किया जाता है।

(2) आपातकालीन स्थिति में उक्त आवश्यक सामग्री का क्रय किसी एक प्रदायक से क्रय किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय कारणों को अभिलिखित करते हुए लिया जाएगा। साथ ही इस हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

(3) प्रोपराईटरी आर्टिकल (Proprietary Article) का क्रय:-

किसी मशीन, अतिरिक्त कलपुर्जे जो कि विद्यमान उपकरणों के मानकीकरण अथवा स्पेयर पार्ट्स के लिए मौजूदा सेट के अनुकूल होने पर (सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) आवश्यक वस्तु केवल एक चयनित फर्म से क्रय किया जा सकता है।

परन्तु, इस हेतु प्रशासकीय विभाग के द्वारा निविदा के माध्यम से प्रोपराईटरी आर्टिकल (Proprietary Article) क्रय किये जाने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र के परिशिष्ट-4 के अनुसार में प्रोपराईटरी आर्टिकल प्रमाण पत्र (Proprietary Article Certificate) प्राप्त किया जाना होगा। सांपत्तिक वस्तु (Proprietary Character) का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से क्रय की सीमा, सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार ही होगी।

उक्त एकल निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता से क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमावली की कंडिका-4.3.1(ब) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना होगा:-

(1) संबंधित विभाग/संस्था द्वारा सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) आर्टिकल सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर, इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु संक्षिप्त सूचना समाचार पत्रों में तथा विस्तृत सूचना शासन/विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

- (2) दावा आपत्ति हेतु न्यूनतम 30 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा। इस समयावधि में यदि कोई दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका विधिवत् निराकरण किया जाएगा।
- (3) दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात् यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि संबंधित सामग्री सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Article) की है, तथा प्रोपराइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट में अंकित आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त, अन्य कोई व्यक्ति/संस्था उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है अथवा क्रय का अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो प्रस्तावित आपूर्तिकर्ता से आईटम की दरें एवं उसका औचित्य (Justification) प्राप्त किया जावेगा एवं इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर क्रय समिति द्वारा दर, स्वीकृत/ अस्वीकृत/ नेगोशिएट करने की अनुशंसा की जाकर अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही/दर अनुबंध, सक्षम अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

(स) भण्डार क्रय नियमावली की कंडिका-4.3.1(ब) के अधीन क्रय किये गये सामग्रियों हेतु निर्धारित सीमा तक मूल्य की सामग्री के लिये, राज्य शासन के संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख को अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय अनुमोदन के द्वारा किया जा सकेगा।

उपनियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति:-

साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिए जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि **"रु. 1,00,001 से 3,00,000 (रुपये एक लाख एक से रुपये तीन लाख)"**^{10.12.2025} तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाए, तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

"परंतु भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट (GeM - Government e-Marketplace) में सीमित निविदा पद्धति से 05 लाख रुपये तक का क्रय किया जा सकेगा।"^{05.03.2025}

"उपनियम-4.3.3 खुली निविदा पद्धति: -

(अ) इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिए। निविदा आमंत्रित करने हेतु निविदा के अनुमानित मूल्य के आधार पर निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जाए -

- (1) रु. 3,00,001 से 5.00 लाख तक हो, स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।
- (2) रु. 5.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो, प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।
- (3) रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो, प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में।
- (4) रु. 20.00 लाख से अधिक, प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में।

उपरोक्त व्यवस्था अंतर्गत निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट के माध्यम से की जा सकेगी।

(ब) केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा।

(स) ऐसी वस्तुएँ जिनकी दर एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के डीजीएसएण्डी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध बिडिंग प्रक्रियाएँ यथा डायरेक्ट परचेस, एल-1, ई-बिडिंग (E-bidding) तथा रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction) पद्धति के तहत आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।

परन्तु, जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने के स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee Receipt Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जाएगी। यह PRC जारी करने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा। CRAC जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा अथवा जेम के प्रभावशील दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

(द) खुली निविदा पद्धति में प्रथम बार आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(इ) सुरक्षा संबंधी उपकरणों, वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय हेतु गृह विभाग को नियमावली की कंडिका-4.3.3 के पालन से छूट प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय

प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा। ^{“11.07.2024”}

“उपनियम- 4.4 निविदा विज्ञप्ति:-

- (1) जेम वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित करने की स्थिति में पूर्ण जानकारी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) जेम से भिन्न स्थिति में, निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा परिशिष्ट-3 में निर्धारित प्ररूप में प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जाएगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। क्रय की अन्य शर्तें एवं शर्तों के विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
- (3) बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा। ^{“10.12.2025”}

उपनियम-4.5 निविदा हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी:-

“निविदा पद्धति	अवधि/दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा पद्धति	10	7	5
खुली निविदा (रु. 10 लाख तक)	15	10	5
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	21	14	7
ग्लोबल निविदा	30	20	10 ^{“10.12.2025”}

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।

उपनियम-4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति:-

उपनियम-4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी। अथवा निर्धारित टेंडर बाक्स में डाली जाएगी। ऑनलाइन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

उपनियम-4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा। ऑनलाइन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

उपनियम-4.6.3 निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक एक घण्टे पश्चात् अर्थात् उसी दिन निर्धारित समय तक

रखा जाएगा। ऑनलाइन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा खोली जाएगी।

उपनियम-4.6.4 अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी व्यवस्था-

- (अ) निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ब) एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जाएगा।
- (स) अमानत राशि (ईएमडी) वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।
- (द) ऑनलाइन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) या ऑनलाइन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

उपनियम-4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् निविदा प्राप्त न हो, इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जाएगी।

उपनियम-4.7 अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी निर्देश:-

- (अ) केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्में ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 1(एक) प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) प्राप्त की जाये। यह अमानत राशि (ईएमडी) सफल निविदाकार की रोककर, शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए।
- “(ब) स्टार्ट-अप को और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाए।”^{10.12.2025}
- (स) इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेंडर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

उपनियम-4.7.1 सुरक्षा निधि प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश-

निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3(तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाए।

“परन्तु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या महिला वर्ग के स्वामित्व वाले, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को इस राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।”^{10.12.2025}

उपनियम-4.8 सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) के प्रकार:-

- (अ) सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा।
- (ब) निविदाकार को यह सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) चालान से निम्नलिखित लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहाँ शासकीय नगदी लेन-देन कारोबार किया जाता है, में जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
"8443-सिविल जमा राशियाँ"
"103- प्रतिभूति जमा"
- (स) निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।

उपनियम-4.9 क्रय की शर्तें :-

- (अ) क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिए ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो।
- (ब) क्रय हेतु चयनित निविदाकार को, क्रेता द्वारा इस हेतु सूचना देने के 15 दिवस के भीतर, राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, पंजीयन पश्चात ही क्रय आदेश जारी किया जाए।^{10.12.2025}
- (स) विलोपित^{10.12.2025}
- (द) उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहाँ आवश्यक हो लिया जाए।
- (ई) यह स्पष्ट वर्णित किया जाए कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा।
- (फ) निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो।
- (ज) क्रय अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में निविदा में अन्य उपयुक्त शर्त का समावेश कर सकता है।
- (ह) निविदा प्रपत्र में प्रदाय/विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्टतः उल्लेखित किया जाए।

उपनियम-4.9.1 विलोपित/

उपनियम-4.10 नमूना लिया जाना:-

“आवश्यक होने पर वस्तु/सेवा का नमूना प्राप्त किया जा सकेगा।”^{10.12.2025} यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है। यदि यह भी संभव नहीं हो तो, करार में यह शर्त जोड़ी जाए कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।

उपनियम-4.11 निविदाओं को खोलना :-

“^{10.12.2025} प्राप्त निविदाएँ एक क्रय समिति के समक्ष खोली जाए। निविदाएँ खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। जो प्रतिनिधि उपस्थित हो उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जाएँ।

उपनियम-4.12 क्रय समिति का गठन:-

प्रत्येक कार्यालय में जहाँ प्रतिवर्ष रु. 50,000/- या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जाए। क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यतः समिलित हो। इस समिति में कितने सदस्य हों इसके लिये सक्षम अधिकारी स्व-विवेक से निर्णय ले सकते हैं, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य समिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों। क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। सामान्यतः क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जाए परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करें। यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों के वित्तीय स्थिति, तकनीकी कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाए। जब निम्रतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए।

यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुनः निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना संभावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके।

उपनियम-4.13 प्रदाय आदेश जारी करना:-

क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिए कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करे। यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है

तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएँ इस शर्त पर क्रय की जाएगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जाएगा।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक नियत समयावधि के अंदर एवं नमूने तथा मापदंड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो। करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापदंड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा। करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी। सभी शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सके। यह करारनामा स्टाम्प पेपर पर हो और करार विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जाए।

उपनियम-4.14(1) पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना-

“वस्तुओं के क्रय की स्थिति में”^{10.12.2025} ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जाएगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर/मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाएगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।^{05.03.2025} “सेवा की स्थिति में, पूर्व निर्धारित दर पर ही, स्पष्ट लिखित कारणों से, 6 माह हेतु विस्तार दिया जा सकेगा; इस 6 माह पश्चात क्रय आदेश में पुनः विस्तार नहीं किया जा सकेगा।”^{10.12.2025}

उपनियम-4.14(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जाएगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जाएगा।

उपनियम-4.14(3) “वस्तुओं के सम्बन्ध में,”^{10.12.2025} पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा।

नियम-5 विलोपित ^{05.03.2025}

नियम-6 विदेशों से क्रय:-

ऐसी वस्तुएँ जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीक की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से "ग्लोबल टेण्डर" बुलाकर क्रय किया जा सकेगा।

नियम-7 विलोपित/05.03.2025

नियम-8 राज्य शासन के अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से सामग्रियों का क्रय:-

उपनियम-8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.2 "ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत, 10.12.2025 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेल मेटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशम, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृह में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री "छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड" 10.12.2025 से क्रय करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.3 समस्त विभागों द्वारा हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्री "जिनका निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर पंजीकृत हस्तशिल्पियों/बुनकरों द्वारा हुआ है, 10.12.2025 का क्रय आदेश "छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर" एवं "छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर" को प्रदान करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा। 10.12.2025

उपनियम-8.4 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती हैं तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.5 कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा "गोधन न्याय योजना" के अंतर्गत संचालित/नियंत्रित/अधिकृत राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों/गौठानों के द्वारा उत्पादित "जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)" का, शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय, "कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा" समय-समय पर निर्धारित दरों

पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.6 राज्य शासन के समस्त विभागों, उपक्रमों एवं शासनाधीन संस्थाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा स्वयं ^{10.12.2025} निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपजों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का क्रय सीधे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ से उनके द्वारा निर्धारित दर पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

“उपनियम 8.7 शासकीय योजनाओं के विज्ञापन सभी माध्यमों यथा- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, आदि से प्रचार-प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।”^{10.12.2025}

नियम-9 इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।

नियम-10 प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

नियम-11 सामग्री “एवं सेवाओं”^{05.03.2025} का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज़ देय होगा।

प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहाँ पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जाए। इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी। समय-सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जाएगा।

”^{05.03.2025}

नियम-12 निविदा एवं अनुबंधों की सूची/ प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना:-

वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21(2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गए कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें, अतः रूपए तीन लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियाँ उन्हें प्रेषित की जाएंगी।

“नियम 13 (1) स्टार्टअप को क्रेता, न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल-1) के बराबर करने की सहमति तथा गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में, कुल क्रय राशि का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में, क्रय आदेश हेतु प्राथमिकता दे सकेगा।

(2) यदि किसी क्रय प्रक्रिया में न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल-1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से भिन्न का है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा निवेदित राशि एल-1 से 15 प्रतिशत अधिक्य की राशि के भीतर है, तो ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जो एल-1 पर आपूर्ति हेतु सहमत हों तथा गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंड सुनिश्चित करें, से कुल मिलाकर कुल क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत तक का क्रय किया जा सकेगा। ^{10.12.2025}

नियम-14 विलोपित/

नियम-15 विलोपित/

क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:-

उपनियम-15.1 समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाईट का पता भी दिया जाए।

उपनियम-15.2 निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिए यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार बेबसाईट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जाएगी।

उपनियम-15.3 ऐसे निविदाकारों से, जिन्होंने वेबसाईट से डाउन-लोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जाएगी।

उपनियम-15.4 जिन वस्तुओं “एवं सेवाओं”^{05.03.2025} की निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसे यथासंभव ऑनलाइन ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाए।

नियम-16 विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा।

“परिशिष्ट -1
(नियम 2 देखें)
संस्थाएँ

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल^{“10.12.2025”}

परिशिष्ट -2
विलोपित।^{05.03.2025}

परिशिष्ट-3

(नियम 4.4.2)

निविदा सूचना का प्रारूप

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से (सामग्री का नाम) प्रदान करने हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रू. नगद भुगतान कर दिनांक के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं “अथवा कार्यालय की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर डाउनलोड कर सकते हैं, निविदा फीस रूपये ऑनलाइन अथवा निविदा के साथ जमा करना होगा।”^{05.03.2025}

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि समय

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि समय

निविदा खोलने की तिथि समय स्थान

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

परिशिष्ट - 4

(नियम 4.3.1)

(प्रशासकीय विभाग के पत्र में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि,

(1) सांपत्तिक वस्तु (Proprietary Article) का निर्माण
निर्माता/इकाई मेसर्स द्वारा किया जाता है।

(2) सांपत्तिक वस्तु (Proprietary Article) किसी भी अन्य मेक एवं मॉडल
स्वीकृत नहीं किये जाने के संबंध में कारण (लिपिबद्ध हो)

.....
.....
.....

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
.....
विभागाध्यक्ष	सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ/सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय का नाम